IJAER/Nov-Dec 2022/Volume-11/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

श्रीमती अनिता मीना
सह आचार्य -राजनीति विज्ञान
राजकीय मूक बधिर महाविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

सार

प्रस्तुत लेख के तहत, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है। इस शोध पत्र में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, वर्तमान स्थिति, समस्याओं और महिलाओं के राजनीतिक भविष्य का अध्ययन किया गया है। वर्तमान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी वैसी ही स्थिति नहीं है जैसी बीस साल पहले थी। दुनिया के इतिहास में राजनीति एक दुर्जेय कार्य रही है। राजनीति ने लोगों का शोषण किया है, धर्म की रक्षा और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के नाम पर खून बहाया है। इसलिए राजनीति न केवल आम आदमियों की बल्कि उन पुरुषों की भी अखाड़ा रही है जो कठोर और क्रूर व्यवहार करते हैं। राजनीति पुरुषों की शारीरिक शक्ति और इससे उत्पन्न होने वाले अहंकार के साथ सक्रिय रही है। इसलिए, राजनीति में तुलनात्मक रूप से नरम स्वभाव की महिलाओं की भागीदारी पूरी दुनिया में कम रही है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में एक अपवाद रही है। स्वतंत्रता के बाद से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के प्रतिशत में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। सबसे पहले, लैंगिक समानता के सिद्धांत को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में प्रस्तावित किया गया है। संविधान ने न केवल महिलाओं को समानता का दर्जा दिया है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया है। जिसकी आज जरूरत भी है। अन्य क्षेत्रों में, महिलाओं को अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हुए एक ऊर्जावान और ठोस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीति के नए आयाम बनाए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं को समान रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है, भले ही वह पंचायती स्तर पर ही क्यों न हो। गाँव के सरपंच ने कई पंचायत स्तर के चुनावों में महिला उम्मीदवारों को जीता और उन्नति के नए द्वार खोले।

मुखय शब्दः *राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका*

परिचय

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सम्भवतः प्रागैतिहासिक काल में भी रही है। मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में कवीले की मुखिया महिलायें रही हैं। आज भी कुछ आदिवासी समाज में स्त्रियों की प्रमुखता परिवार में देखी जा सकती है। वैदिक सभ्यता पुरूष-प्रधान रही है, पर स्त्रियों के शासकीय सेनानी, राज्य-सलाहकार या मंत्राणी, विदुषी, समाज-नेत्री, पुरोहित आदि सभी रूपों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है।

भारत में सामाजिक पुनर्जागरण काल और राजनीतिक चेतना का विकास साथ-साथ मानने पर पाते है कि सामाजिक पुनर्जागरण और नारी का मुक्ति-संघर्ष 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक साथ तब यह हुआ, जब बंगाल में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय, बंबई में प्रार्थना-समाज के संस्थापक श्री महादेव गोविंद रानाडे और उत्तर पश्चिम भारत में आर्य-समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने अपने सामाजिक सुधारों में स्त्री-उत्थान में कार्य को प्रमुख स्थान दिया।

1857 में भारत के पहले बड़े स्वतंत्रता-संग्राम और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना की यह मिली-जुली प्रवृति साथ-साथ आगे बढी। कांग्रेस के जन्मकाल से ही स्त्रियाँ किसी न किसी रूप में

अपनी भूमिका अदा करती आई हैं। सामाजिक संस्थाएँ और महिला-संगठन उनमें राजनीतिक जागृति लाने में सहायक रहे हैं, किन्तु इसे महिलाओं का राजनीति में सीधे प्रवेश नहीं कहा जा सकता है।

राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का वास्तविक पदार्पण बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से ही माना जा सकता है। बीसवीं सदी के प्रथम दशक में कांग्रेस के स्वदेशी आन्दोलन में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और दूसरे दशक में वे सीधे राजनीतिक क्षेत्र में उतर पड़ी। महान आयरिश महिला श्रीमती एनी-बेसेंट, जिन्होंने भारत को अपना घर और स्वयं को भारतीय महिला कहा, 1913 में राजनीतिक क्षेत्र में एक कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनीं। देश के राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के सक्रिय योगदान की दिशा में यह पहला कदम था। इसके पूर्व श्रीमती वेसेंन्ट ने मार्गेट कर्जिल तथा श्रीमती मार्गेट नोबल (सिस्टर निवेदिता) के साथ मिलकर 'वेकअप इंडिया' नाम के आन्दोलन का सूत्रपात किया था, जो बाद में 'होमरूल लांग' में परिणत हो गया।

1917 का वर्ष भारतीय नारी की वर्तमान राजीतिक भूमिका में पहला महत्वपूर्ण वर्ष था, जिसमें महिलाओं ने एक साथ कई दिशाओं में कदम रखे। स्त्रियों को पुरूषों के समान मतधिकार की मांग उठाई गई। 18 दिसम्बर 1917 को श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में 14 प्रमुख महिलाओं का शिष्टमंडल श्री मांटेग्यू, सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर इंडिया और वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड से मिला। यह घटना महिलाओं में जागृति की ही नहीं, दृढ ता के साथ राजनीतिक क्षेत्र में स्वयं आगे बढ़कर सक्रिय भाग लेने की भी प्रतीक थी।

महिलाओं की सामाजिक निर्योग्यताओं की आड़ में यद्यपि 'माउंट फोर्ड रिफाम्र्स स्कीम' के अनुसार, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस समय भारतीय स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं प्रदान किया, किन्तु उसे प्रान्तीय विधानसभाओं को यह अधिकार दे दिया कि वे इस मामले पर विचार कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ और सीमित रूप में मत देने का भी।

सर्वप्रथम 1919 में मद्रास विधान परिषद ने महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किया। 1926 तक सभी प्रान्तों में स्त्रियों को उन्हीं भार्तों पर मत देने का अधिकार मिल गया, जो कि उन प्रान्तों में पुरूषों के लिए लागू थी। 1926 में तत्कालीन भारत सरकार ने एक कदम और उठाया-महिलाओं को प्रान्तीय विधान-सभाओं के चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्रदान कर दिया।

पहली बार श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय दक्षिण कनारा क्षेत्र से चुनाव लड़ी, उस समय 4976 वोटों के मुकाबले में 4461 मत प्राप्त कर चुनाव हार गई, लेकिन हार का अन्तर कम होने के फलस्वरूप उस समय में महिलाओं की एक महान नैतिक विजय मानी गयी। मद्रास सरकार पर दवाब पड़ा। मनोनयन के आधार पर डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी को पहली महिला विधायक के रूप में चुना गया और फिर वे विधान सभा का उपाध्यक्ष भी चुन ली गई।

1927 में स्थापित गैर राजीतिक संगठन आल इंडिया वूमेंस कॉन्फ्रेंस ने स्त्रियों में सामाजिक सुधारों के साथ, राजनीतिक जागृति लाने की दिशा में महिलाओं के समान अधिकारों के लिए जमकर संघर्ष किया और सफलताएँ भी प्राप्त की।

1930 में 'नमक सत्याग्रह' के समय गाँधी जी के आह्वान पर हजारों की संख्या में स्त्रियाँ भाग ली। गाँधी जी की गिरफ्तारी के साथ-साथ श्रीमती सरोजनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, रूक्मिणी लक्ष्मीपति ने सत्याग्रह का नेतृत्व संभाल लिया। महिलाएँ लाठियाँ, गोलियाँ खाने और जेल जाने को तैयार हो गई। 1930 के इस आन्दोलन में 17 हजार महिलाएँ गिरफ्तार हुई थी। डॉ मधुलक्ष्मी ने मद्रास विधानसभा की सदस्यता से और श्रीमती कमलाबाई लक्ष्मण राव तथा श्रीमती हंसा मेहता ने अवैतनिक न्यायाधीशों के पदों से त्यागपत्र देकर अपना विरोध प्रकट किया। 1932 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन और 1942 में

'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भी महिलाएँ बढ़-चढ करप भाग ली, गिरफ्तारी दे जेल की यातनाएँ सही। आजादी की इस आखरी लड़ाई में भी हजारों स्त्रियों ने हिस्सा लिया था।

उक्त आन्दोलनों में भाग लेने के साथ-साथ वैधानिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने सशक्त भागीदारी निभाई। 1927 के' कॉमनवेल्थ ऑफ़ इंडिया बिल' महिला परिषद के प्रतिनिधित्व ने' बिना लिंग भेदभाव के, समान अधिकार व समान कर्तव्य' की धारा जोड़ने पर बल दिया। पहली राउंड टेबुल कॉन्फ्रेंस' में महिला मतदाता संख्या में वृद्धि करने की मांग महिला प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया।

1937 में 6 प्रांतों में काँग्रेस मंत्रिमंडल बनी। कुल 80 महिलाएँ विधानसभाओं में चुनकर गई थी। मंत्री और उपाध्यक्ष का पद भी महिलाओं को मिला। इस संख्या का उस समय विश्व में तीसरा स्थान था।

संविधान निर्माण में भी, लीला रे, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हँसता मेहता, दुर्गाबाई, सुचिता कृपलानी, रेणुका रे, कमला चैधरी, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चैधरी, पूर्णिमा बनर्जी की भागीदारी उल्लेखनीय है, फलस्वरूप भारत के संविधान में स्त्री पुरूषों को समान अधिकार का आश्वासन दिया गया।

आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमती इंदिरा गाँधी का आरूढ होना स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। केन्द्रीय केबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री और राज्यपाल व राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में तो अबतक इतने महिला नाम सामने आ चुके हैं कि उन्हें गिनाना संभव नहीं। वर्तमान में देश की रक्षामंत्री, देश के विदेशमंत्री का महिला होना महिलाओं की राजनीति में सशक्त भागीदारी का सबल पक्ष है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आज शिक्षा ज्ञान-विज्ञान, व्यवसाय एवं प्रशासन के क्षेत्र में जिस अनुपात में महिलाओं की भागीदारी बढी है, राजनीति में उसी तरह आगे नहीं आई, यद्यपि ब्रिटेन, अमरीका, जापान जैसे उन्नत देशों की तुलना में इस क्षेत्र में भारतीय स्त्रियों की सिथति अच्छी है। फिर भी लोकसभा और विधान सभाओं में महिला प्रतिनिधित्व अभी चार से बारह प्रतिशत के बीच ही आगे पीछे होता रहा, बढा नहीं। 48 प्रतिशत महिला मतदाता संख्या है और महिलाओं की यह प्रतिनिधित्व की स्थिति सचमुच चिंतनीय रही है।

21वीं सदी की महिलायें प्रेम, दया, करूणा की देवी होने के साथ महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी, दूरदर्शी तथा सफल योद्धा स्वरूप हैं, अपनी इन्हीं असीम क्षमताओं से लबरेज महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, खेल के क्षेत्र में एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा देखी जा रही हैं, लेकिन राजनीति की मुख्य धारा में अपनी योग्यता से महिलाओं को आगे बढ़ ने की जरूरत महसूस की जा रही है।

राजनीतिक पार्टियों के संगठन या सत्ता के भीर्श पर महिलाओं की सहभागिता की आवश्यकता है, इन परिस्थितियों के मद्देनजर आज के संदर्भ में महिलाओं को राजनीति में सम्मानित स्थान दिलाने के लिए तथा उनकी भागीदारी को बढा ने के लिए आरक्षण एक बेहतर जरिया हो सकता हैं। इसलिए कि हमें यह देखना होगा कि किस वजह से महिलाएँ उतनी अधिकता से राजनीति में अपनी भागीदारी व सामाजिक संकट आते हैं। जैसे कि घरेलू हिंसा, सुरक्षा मँहगाई आदि के इन सभी कारणों से महिलाएँ ही प्रभावित होती हैं। गृहिणी महिलाओं को तो बच्चों से लेकर बुजूर्गों तक देखभाल, घर की सफाई, कपडे धोने, बर्तन साफ करने, पानी की किल्लतें, जैसी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहना पड़ता है। मँहगाई, जातिगत व लिंग भेदभाव, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा तथा असुरक्षा की मार महिलाओं को हमारे समाज में पुरूषों के मुकाबले ज्यादा सहनी पड़ती है।

यहाँ समस्याओं को गिनाने का मतलब है कि इन सबका निदान करते हुए भारतीय महिलाएँ राजनीतिक दस्तक देने में पीछे नहीं रहती है। आरक्षण का जिक्र इसलिए जरूरी है कि स्थानीय निकायों में 73वाँ संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया 33 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक रूप से स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को रेखांकित किया जा सकता है। भारतीय राजनीति में महिलाओं की सशक्त भागीदारी ने एक राजनीतिक दबाव का भी एहसास कराया है फलस्वरूप भारतीय कैबिनेट ने पंचायत में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण पर सहमति जाता दी है।

बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में पहले से ही पंचायत में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण है। राजस्थान ने भी इसकी घोषणा की है। बिहार पहला राज्य है जहाँ पंचायत में 2006 से ही 50 फीसदी आरक्षण है। 1,33,000 महिलाएँ पंचायत, एवं जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं, यह ऐतिहासिक बदलाव है यह सिलसिला गाँव से राज्य और केन्द्र तक पहुँचेगा। स्थानीय निकायों से प्रशिक्षित, दक्ष एवं क्षमतावान महिलाएँ राज्य एवं केन्द्र स्तर तक भविष्य में नेतृत्व देने को अवश्य निकल सकेगी। यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में मील का पत्थर भी साबित होगा।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका

भारत के इतिहास में आधुनिक काल राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से अधिक महत्वपूर्ण है। रानी लक्ष्मीबाई, मैडम बीकाजी कामा, कस्तूरबा, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी आदि ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वाधीनता की राजनीति में नंदिनी सत्पथी, मोहसिना किदवई, गिरिजा व्यास, सुषमा स्वराज, मायावती, वसुंधरा राजे, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, रेणुका चैधरी, सोनिया गांधी आदि ने सक्रियता दिखाई। इंदिरा गांधी ने 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद गठित देश के संविधान में, महिलाओं को न केवल पुरुषों के रूप में वोट देने के लिए समान अधिकार दिए गए हैं, बल्कि पंचायत से संसद तक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव भी लड़ना है।

इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था में सभी जनप्रतिनिधि मंचों में कम से कम एक तिहाई सदस्यता के साथ राजनीति में महिला भागीदारी का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ा है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधित्व कानून द्वारा एक तिहाई सदस्यता के प्रतिनिधित्व के कारण समाज में पुरुषों और महिलाओं के समानता का विचार तेजी से बदल रहा है। महिलाओं में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। खुद के प्रति उनकी छवि में सुधार हुआ है, वे अपनी आँखों में उग आए हैं। समाज में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बल का उपयोग आदि के विरोध में जागरूकता बढ़ी है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। महिला मतदाताओं का सम्मान बढ़ा है, लेकिन विडंबना यह है कि संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई महिला भागीदारी बढ़ाने का विधेयक 1998 से लंबित है, जो पुरुष - प्रधान समाज के अन्यायपूर्ण फैसले का कड़वा मामला है।

उद्देश्य

1. भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया है।
2. भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा की गई है।

भारत में महिला मतदाताओं की स्थिति

1980 और 2014 के बीच, महिला मतदाताओं की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि 1980 में महिला मतदाताओं की संख्या 51 प्रतिशत थी, 2014 में यह बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई।

1990 में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगी और 2014 के लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा महिला मतदान हुआ।

लेकिन फिर भी स्थिति को पूरी तरह से बेहतर नहीं माना जा सकता है। महिला मतदाताओं का प्रतिशत प्रतिशत के लिहाज से कमजोर है और साथ ही वोट देने जा रही महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत वोट के मामले में खुद तय नहीं कर पा रहा है। किस पार्टी या किस नेता के पास उनका वोट जाएगा, इसका फैसला घर के पुरुषों द्वारा किया जाता है और वे उसी निर्देशों का पालन करते हुए वोट देने जाते हैं।

दिल्ली के आनंद विहार में रहने वाली 40 वर्षीय प्रियमिदा कहती हैं कि उनके घर के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं और वोट देने से पहले हमें बताया जाता है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है। जब उनसे इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, इसलिए वोट देने का फैसला कौन करता है, यह हमारे घर के लोग तय करते हैं।

अगर हम राज्यों के अनुसार महिला मतदाताओं के प्रतिशत के बारे में बात करते हैं, तो 2014 के लोकसभा चुनावों (राज्य की आबादी के अनुपात में) में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे कम था। जबकि, अरुणाचल प्रदेश में स्थिति विपरीत देखी गई, जहाँ महिलाओं के लिंगानुपात के मामले में महिला मतदाताओं की संख्या में कमी देखी गई। इस राज्य में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया।

कविता कृष्णन कहती हैं कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना और वोट देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार और राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र में महिलाओं को केंद्र में रखें।

वह कहती हैं, "महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही महिलाओं के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है, ताकि उनके अधिकारों को शामिल किया जा सके ताकि महिलाओं को भी मतदान में रुचि हो। उन्हें महसूस करना चाहिए कि उन्हें सरकार बनाने में योगदान भी महत्वपूर्ण है।

सक्रिय राजनीति में महिलाओं की स्थिति :

सक्रिय राजनीति में, यह केवल महिलाओं की बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि हमारा समाज भी है, जो राजनीति में महिलाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

अगर प्रियंका गांधी राजनीति में आती हैं, तो उनकी पोशाक और उनके नैन नक्श पर टिप्पणी की जाती है। प्रियंका के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं कि सुंदर महिला राजनीति में क्या कर पाएगी।

वहीं, शरद यादव की वसुंधरा राजे पर टिप्पणी, आपको याद होगा जब उन्होंने अपने मोटापे पर टिप्पणी की थी कि वसुंधरा राजे मोटी हो गई हैं, उन्हें आराम की जरूरत है।

इसी तरह, ममता बनर्जी, मायावती, सुषमा स्वराज की उन सभी महिला राजनेताओं को ऐसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। उसकी कोई भी विफलता उसके स्त्री होने के कोण से उजागर होती है, जबकि एक विफलता का सामना एक पुरुष राजनीतिज्ञ को भी करना पड़ता है। राजनीति में महिलाओं के कमजोर होने के बारे में तर्क - महिला उम्मीदवारों के पास जीतने की बहुत कम संभावना है। महिलाएं राजनीति में किसी पुरुष को अपने घरेलू काम में समय नहीं दे पाती हैं। महिलाओं की राजनीतिक समझ कम होती है, इसलिए वे जीतने पर भी महिला विभाग, बच्चों के विभाग जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित रहती हैं।

1. जहां तक महिला उम्मीदवारों का संबंध है, पिछले तीन लोकसभा चुनावों में जीतने वाली महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक है। 2014 के चुनाव में महिला उम्मीदवार की सफलता दर 9 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों की संख्या 6 प्रतिशत थी।
   16 वीं लोकसभा चुनाव जीतने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक थी। आज भी, कई राजनीतिक दल महिलाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, इसका असर यह है कि बहुत कम महिलाएँ सक्रिय राजनीति में उतर पाती हैं।
   बिहार की भाजपा युवा नेता अमृता भूषण का कहना है कि महिलाएं चुनाव नहीं जीतती हैं, यह गलत है। जब आप चुनाव लड़ते हैं, तो पार्टी के बारे में बात होती है, यह एजेंडे के बारे में है और व्यक्तिगत उम्मीदवार की बात है। स्त्री या पुरुष का नहीं।
   चुनावों में महिलाओं का जीत प्रतिशत भी पुरुषों की तुलना में अधिक देखा जाता है। मुझे लगता है कि सही जगह पर महिलाओं के नाम रखने के लिए शायद बहुत कम लोग हैं। उनका कहना है कि इस बार महिलाओं को भाजपा में अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है।
2. राजनीति में महिलाओं को कम समय देने के तर्क पर, राजद के विधायक इजाया यादव का कहना है कि एक महिला उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में पुरुष उम्मीदवार की तुलना में कड़ी मेहनत करनी होगी। पुरुष उम्मीदवार को घर के अंदर नहीं ले जाता है। एक महिला उम्मीदवार भी बाहर से मिलती है और लोगों के घर के अंदर महिलाओं से मिलती है।
3. राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिशत के कारण, महिलाएं भी अक्सर मंत्रिमंडलों के विभाजन से अनभिज्ञ हैं। उन्हें आमतौर पर वित्त, गृह, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र आवंटित नहीं किए जाते हैं, इसके बजाय उन्हें महिलाओं, बच्चों, चंगुल जैसे विभागों को सौंप दिया जाता है।

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी :

पिछले 57 वर्षों में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के परिणामस्वरूप पिछले 57 वर्षों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और महिलाओं में बढ़ती चेतना के परिणामस्वरूप प्रयास किए गए हैं, लेकिन बुनियादी बदलाव संविधान में संशोधन करने के लिए किए गए थे। 1994 और 73 और 74 पंचायती राज कानून को लागू करने के लिए। जिसमें पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब हर पंचायत में देश की 2,25,000 पंचायतों में एक तिहाई महिला पंच यानी 725,000 महिला सदस्य और 75,000 महिला सरपंच हैं। हर पंचायत समिति में एक तिहाई (17000) सदस्य महिलाएँ हैं और पंचायत समितियों में एक तिहाई (1700) प्रमुख महिलाएँ हैं। इसी प्रकार, जिला परिषदों में, सदस्यों में से एक - तिहाई (1583) महिलाएँ हैं और जिला प्रमुखों की एक - तिहाई (158) महिलाएँ हैं। उपरोक्त आरक्षण के आधार पर राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल में ग्राम पंचायतों में एक तिहाई से अधिक महिलाएं हैं, लेकिन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की सदस्यता लगभग ग्यारह प्रतिशत है और महिला सदस्यता बिल का एक तिहाई हिस्सा अभी भी पिछले एक दशक से लंबित है।

भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी

जहां तक भारतीय संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात है, तो स्थिति बहुत निराशाजनक है। संसद में महिलाओं की स्थिति को केवल इंदिरा गांधी के 16 साल तक प्रधान मंत्री रहने के साथ बेहतर नहीं माना जा सकता है। इंदिरा गांधी, भंडारनायके, चंद्रिका कुमारतुंगा, बेनज़ीर भुट्टो, ख़ालिदा ज़िया आदि जैसी महिलाएँ इन देशों की राजनीति में बढ़ती महिला भागीदारी का परिणाम नहीं थीं, लेकिन वे वंशानुगत संस्कारों के राजतंत्रीय संस्कारों के कारण अपने पूर्वजों की प्रसिद्धि से लाभान्वित हो रही थीं। इन समाजों में शासन। वास्तव में, भारत की संसदीय राजनीति में न केवल महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है, बल्कि कम संख्या वाली महिलाओं ने भी कम सक्रिय भागीदारी दिखाई है। महिलाओं पर पुरुष - वर्चस्व का

उदाहरण बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के रूप में देखा जा सकता है, जो महिला हैं, लेकिन उनके पति लालू प्रसाद यादव की निर्णायकता में राजनीतिक भागीदारी सीमित रही है। इस प्रकार, वर्तमान भारतीय राजनीतिक पृष्ठभूमि में संसद और विधानसभाओं में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए, 33 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों के आरक्षण का विकल्प चुना गया है, जो भारतीय राजनीति में एक क्रांतिकारी मोड़ है, जिसके स्पष्ट परिणाम होंगे दशक या दो।

महिला भागीदारी में पुरुषों का हस्तक्षेप

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जन प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या से प्रभावित हुई है। फिर भी महिलाओं की अपने स्तर पर सोचने और निर्णय लेने की प्रवृत्ति कम विकसित है जो हमारी चुनौती है। यद्यपि महिला पंच - सरपंचों आदि का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। न तो ये महिलाएं पति, पिता, भाई या महिलाओं के अन्य पुरुषों के प्रभाव में काम कर रही हैं। लेकिन यह प्रारंभिक चरण है। यदि महिलाएं राजनीति की प्रक्रिया को धीरे - धीरे समझती हैं, तो वे अपने विवेक से निर्णय लेना शुरू कर देंगी। इसके लिए, महिला और महिला प्रतिनिधियों को स्वयं जागरूक होने और उन्हें दूसरों द्वारा जागरूक करने की आवश्यकता है, दूसरी ओर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में पुरुषों की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है, तो धीरे - धीरे संख्यात्मक और महिला भागीदारी के गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। राजनीति में महिला भागीदारी बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में, यह कहा जा सकता है कि सरकार और समाज ने भी काफी हद तक महिलाओं की राजनीति में समान भागीदारी की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं और वे यह भी साबित कर रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण ने राजनीति को एक नई ऊँचाई प्रदान की है। राजनीति के नए आयाम बनाए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं को समान रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है, भले ही वह पंचायती स्तर पर ही क्यों न हो। गाँव के सरपंच ने कई पंचायत स्तर के चुनावों में महिला उम्मीदवारों को जीता और उन्नति के नए द्वार खोले।

संदर्भ

1. भारत में पंचायती राज, प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रभात प्रकाशन, अरूणा आसफ अली रोड, नयी दिल्ली।
2. बिहार में ग्राम पंचायत, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना।
3. राजनीतिक नेतृत्व, डॉ. रवीन्द्र कुमार वर्मा, वही।
4. बिहार में ग्राम पंचायत एवं सुशासन, सं. डॉ. सीताराम सिंह, वही।
5. निर्वाचन और राजनीति, डॉ. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, वही।
6. शर्मा, प्रज्ञा (2011). " वुमन इन इंडियन सोसाइटी . जयपुरः पॉइंटर पब्लिशर्स, पेज - 162, 165.
7. चोपड़ा, पी . ए . एन . पुरी, बी . पी . एन ., दास एम . एन . (2005). " भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास " । दिल्लीः मैकमिलन इंडिया लिमिटेड पृष्ठ - 259, 265.

8. शर्मा, गोपीनाथ (2008). " राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास। " " जयपुरः राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। पृष्ठ - 119, 120

9. शर्मा, कालूराम। (2004). " उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक जीवन। " " जयपुरः राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ - 125, 129

10. जैन, हुकुमचंद और माली, नारायण। (2011). " राजस्थान का इतिहास और संस्कृतिः विश्वकोश "। " जयपुरः जैन प्रकाशन मंदिर। पृष्ठ - 548, 555

11. अंसारी, एम ए (2010) " महिला और मानव अधिकार जयपुरः ज्योति प्रकाशन।

12. कैथवास, सावित्री (2009) " ग्रामीण पंचायती राज के विशेष संदर्भः अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं : नए पंचायती राज के विशेष संदर्भ में। 25, पृष्ठ - 30, 32, 43

13. शर्मा, प्रज्ञा (2011) "महिला विकास और सशक्तिकरण"। जयपुरः अविष्कार पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।